

पत्रक  
(नियम 13)

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी सुशिल कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

सायरा बेवा नूरिया जाति फकीर निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।	-बनाम-	रमज्यान पुत्र स्व० नूरिया जाति फकीर निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र 09 नियम 04, 09 तथा 151 सीपीसी।		मु.नं. 22 / 2025 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------

24.01.25 आज यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से वकील श्री अमर सिंह शेखावत ने पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण यदि तहसील क्षेत्र नवलगढ़ के बाहर के हो तो तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 28/2/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)  
नवलगढ़ जिला झुंझुनू

28/2/25 पत्रावली पेश हुई वकील पतामरान उम.।  
अनावेकलशा का ओर से वकील  
श्री सुरेश कुमार सैनी ने गुमालाना  
पेश किया। अथवा पत्र पत्रावली वास्तु  
जाबाब देव आगंदा दिनांक 4/4/25  
को पेश हो।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)  
नवलगढ़

4/4/25 पत्रावली पेश हुई वकील पतामरान  
उम.। उभय पक्ष सां. पत्रा 09 R 4, 68 C  
रवीन्द्र करने के लिए सहमत  
है अतः वदत सां. पत्रा सुनी  
गई। सां. पत्रा 09 R 4, 9 व 151 CPC  
रवीन्द्र किया जाता है तथा  
माथी का दावा उन्वानी  
साथ बनाम रमज्यान को रिस्टोर

प्रार्थना-पत्र  
रवीन्द्र  
किया जाये  
है। अतः  
आपने गहरा  
रजिस्टर्ड डाक से  
किया जाये  
किया जाये  
किया जाये



ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)  
नवलगढ़ CONT.

CONT... मर पुनः नाम पर लिखे  
जाने का आदेश दिया  
जाता है। मूल पडावली को  
अपिलेख महा, इंसुलू से मंत्रवासे  
जाने हेतु तहरीर जारी है। पडावली  
मूल वाप रिफॉर्म रूप से प्राप्त  
होने पर उसके साथ नवीन  
निर्गल आज दिनांक १/५/२५  
को खुले न्यायालय में सुभा  
राभा / पडावली फैलल सुधार हेतु  
फसि नम्बर से काम है।

ए. सी. ई. एम. (फ. ट्रे.)  
नवलगढ